देह व्यापार से सम्बन्धित कानून

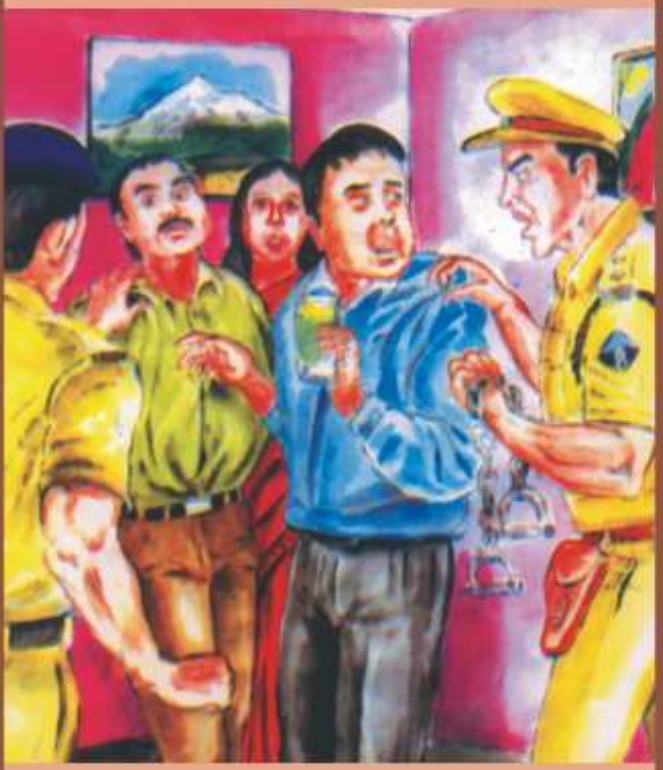

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

देह व्यापार से सम्बन्धित कानून

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

वैश्यावृत्ति का अर्थ

किसी भी व्यक्ति का लैंगिक शोषण आर्थिक लाभ के लिए।

वैश्यावृत्ति का अर्थ

किसी मकान, कमरे, वाहन या स्थान से या उसके किसी भाग से है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किसी का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग किया जाए या दो या दो से अधिक महिलाओं के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिए वैश्यावृत्ति की जाती हो।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य अपराध हैं।

1. **कोई व्यक्ति जो वैश्यागृह को चलाता है,** उसका प्रबन्ध करता है, या उसके रखने में और प्रबन्ध में मदद करता है, तो उसको कम से कम एक व अधिक से अधिक तीन साल का कठोर कारावास, और 2000 रूपये का जुर्माना होगा। यदि वह व्यक्ति दोबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 2 साल व

अधिक से अधिक 5 साल का कठोर कारावास और 2000 रूपये जुर्माना होगा।

2. **कोई व्यक्ति जो मकान, या स्थान का** मालिक, किराएदार, भारसाधक,एजेन्ट है, उसे वैश्यागृह के लिए प्रयोग करता है, या उसे यह जानकारी है कि ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वैश्यागृह के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, या वह अपनी इच्छा से ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वैश्यागृह के रूप में प्रयोग करने में भागीदारी देता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और 2000 रूपये का जुर्माना हो सकता है। यदि वह दोबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको 5 साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

वैश्यावृत्ति की कमाई पर रहना

कोई भी 18 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति अगर किसी वैश्या की कमाई पर रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों।

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वैश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7

साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है।

कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है

1. वैश्या के साथ या उसकी संगत में रहता है, या

2. वैश्या की गतिविधियों पर अपना अधिकार, निर्देश, या प्रभाव इस प्रकार डालता है, जिससे यह मालूम होता है कि वह वैश्यावृत्ति में सहायता, प्रोत्साहन या मजबूर करता है, या

3. जो व्यक्ति दलाल का काम करता है।

तो यह मान कर चला जाएगा जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति वैश्यावृत्ति की कमाई पर रह रहे हैं।

वैश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लाना, फुसलाना या लाने की चेष्टा करना

यदि कोई व्यक्ति

1. किसी व्यक्ति को उसकी सहमति या सहमति के बिना

वैश्यावृत्ति के लिए लाता है, लाने की कोशिश करता है, या

2. किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फुसलाता है, ताकि वह उससे वैश्यावृत्ति करवा सके। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल व अधिक से अधिक 7 साल के कठोर कारावास और 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। और अगर यह अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 7 साल की जेल जो अधिकतम 14 साल तक की हो सकती है दण्डित किया जा सकता है और अगर यह अपराध किसी बच्चे के विरूद्ध किया जाता है तो दोषी को कम से कम 7 साल की जेल, व उम्र कैद भी हो सकती है।

वैश्यागृह में किसी व्यक्ति को रोकना

अगर कोई व्यक्ति किसी को उसकी सहमति या सहमति के बिना –

1. वैश्यागृह में रोकता है।
2. किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को किसी के साथ जो कि

उसका पति या पत्नी नहीं है, संभोग करने के लिए रोकता है।

तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम सात साल की जेल जो कि 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ वैश्यागृह में पाया जाता है, तो वह दोषी तब तक माना जाएगा जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता है।

अगर कोई बच्चे या 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वैश्यागृह में पाया जाता है, और उसकी चिकित्सीय जाँच के बाद यह सिद्ध होता है, कि उसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को वैश्यावृत्ति करवाने के लिए रखा गया है या उसका लैंगिक शोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की का –

1. सामान जैसे गहने, कपड़े, पैसे या अन्य सम्पत्ति आदि अपने पास रखता है। या
2. उसको डराता है कि वह उसके विरूद्ध कोई कानूनी

कार्यवाही शुरू करेगा

अगर वह अपने साथ वह गहने, कपड़े, पैसे या अन्य सम्पत्ति जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा महिला या लड़की को उधार या आपूर्त्ति के रूप में या फिर ऐसे व्यक्ति के निर्देश में दी गई हो ले जाएगी।

तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने महिला या लड़की को वैश्यागृह में या ऐसी जगह रोका है जहाँ वहा महिला या लड़की को संभोग के लिए मजबूर कर सके।

सार्वजनिक स्थानों, या उनके आस–पास वैश्यावृत्ति करना

यदि कोई व्यक्ति जो वैश्यावृत्ति करता है या करवाता है ऐसे स्थानों पर –

1. जो राज्य सरकार ने चिन्हित कियें हों, या
2. जो कि 200 मीटर के अन्दर किसी सार्वजनिक पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या गृह या

ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक का कारावास हो सकता है।

कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे से ऐसा अपराध करवाता है तो उसको कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है। तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति जो

1. ऐसे सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधक है वैश्याओं को व्यापार करने व वहाँ रूकने देता है।
2. कोई किराएदार, दखलदार या देखभाल करने वाला व्यक्ति वैश्यावृत्ति के लिए ऐसे स्थानों के प्रयोग की अनुमति देता है।
3. किसी स्थान का मालिक, एजेन्ट ऐसे स्थानों को वैश्यावृत्ति के लिए किराये पर देता है।

तो वह तीन महीने के कारावास, और 200 रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

यदि वह व्यक्ति फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वह 6 महीने की जेल और 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

अगर ऐसा अपराध किसी होटल में किया जाता है तो उस होटल का लाइसेन्स रद्द कर दिया जाएगा।

वैश्यावृत्ति के लिए किसी को फुसलाना या याचना करना

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति को किसी घर या मकान से इशारे, आवाज अपने आप को दिखाकर किसी खिड़की या बालकोनी से वैश्यावृत्ति के लिए आकर्षित, फुसलाता या विनती करता है या छेड़छाड़, आवारागर्दी, या इस प्रकार का कार्य करता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले या आने जाने वालों को बाधा या परेशानी होती है, तो उसको 6 महीने की जेल और 500 रूपये के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अगर वह फिर से यह अपराध करता है तो उसको एक साल की जेल और 500 रूपये से दण्डित किया जा सकता है।

अगर यह अपराध कोई पुरूष करता है तो वह कम से कम सात दिन तथा अधिक से अधिक तीन महीने की जेल से दण्डित किया जा सकता है।

अपने संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति को फुसलाना

यदि कोई व्यक्ति अपने संरक्षण, देखभाल में रहने वाले किसी व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के लिए फुसलाता है, उकसाता है या सहायता करता है, तो वह कम से कम 7 साल की जेल जो कि उम्र कैद या 10 साल तक की हो सकती है जेल व जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

सुधार संस्था में भेजने का आदेश

सार्वजनिक स्थानों या उनके आस–पास वैश्यावृत्ति करना, या वैश्यावृत्ति के लिए किसी को फुसलाना या याचना करने के संबंध में दोषी महिला को उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसको सुधार संस्था में भी भेजने का आदेश दे सकता है। सुधार संस्था में कम से कम 2 साल व अधिक से अधिक 5 साल के लिये भेजा जा सकता है।

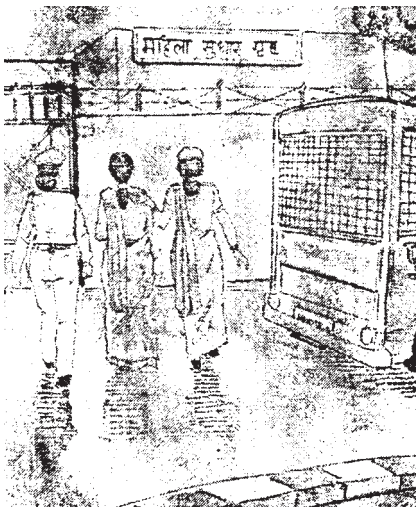

विशेष पुलिस अधिकारी एवं सलाहकार बॉडी

राज्य सरकार इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराधों के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

सरकार कुछ महिला सहायक पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है।

इस अधिनियम के अन्दर दिए गये सभी अपराध संज्ञेय हैं

इस अधिनियम के अन्दर दिये गए अपराध के दोषी को विशेष पुलिस अधिकारी, या उसके निर्देश से बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

तलाशी लेना

विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट के किसी स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं, जब उनके साथ उस स्थान के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों जिसमें कम से कम एक महिला भी साथ हो।

वहाँ पर मिलने वालें व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की आयु, लैंगिक शोषण, व यौन सम्बन्धी बीमारियों की जानकारी के लिए चिकित्सीय जाँच कराई जाएगी।

ऐसे स्थानों पर मिलने वाली महिलाएँ या लड़कियों से, महिला पुलिस अधिकारी ही पुछताछ कर सकती है।

वैश्यागृह से छुड़ाना

अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति कर रहा है या करवा रहा है तो वह पुलिस अधिकारी (जो इंस्पेक्टर की श्रेणी से उच्च होगा) उस स्थान की तलाशी लेने और वहाँ मिलने वाले लोगों को उसके सामने पेश करने को कह सकता है।

वैश्यागृह को बन्द करना

मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिलती है, कि कोई घर, मकान, स्थान आदि किसी सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर वैश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उस जगह के मालिक, किरायेदार, एजेन्ट, या जो उस स्थान की देखभाल कर रहा है, उसे नोटिस देगा कि वह सात

दिन के अन्दर जवाब दें कि क्यों न स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किये जाने वाला घोषित किया जाए।

सम्बन्धित पक्ष को सुनने के बाद यदि यह लगता है कि वहाँ पर वैश्यावृत्ति हो रही है, तो वह मजिस्ट्रेट सात दिनों के अन्दर उसको खाली करने व उसकी अनुमति के बिना किराये पर न देने का आदेश दे सकता है।

संरक्षण गृह में रखने के लिए आवेदन

कोई व्यक्ति जो वैश्यावृत्ति करता है या जिससे वैश्यावृत्ति कराई जाती है वह मजिस्ट्रेट से संरक्षण गृह में रखने व न्यायालय से सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

वैश्याओं को किसी स्थान से हटाना

मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर यदि यह लगता है कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई वैश्या रह रही है, तो वह उसको वहाँ से हटने व फिर उस स्थान पर न आने का आदेश दे सकता है।

विशेष न्यायलयों की स्थापना

इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराधों के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भी महिलाओं व बच्चों को बेचने व खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग करने के लिए फुसलाना (धारा–366–क)

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को, यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल, और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

विदेश से लड़की का आयात करना (धारा 366–ख)

अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह मानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

वैश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेंचना (धारा 372)

अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को

वैश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभाग, या किसी कानून के विरूद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वैश्या या किसी व्यक्ति को, जो वैश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबन्ध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वैश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाये।

वैश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना (धारा 373)

अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध, और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किये जाने के लिए उसको खरीदता है, या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

न्यायालयों के देह व्यापार से संबंधित निर्णय

1. उच्चतम न्यायालय ने **गौरव जैन बनाम भारत संघ** में

कहा है कि वैश्यावृत्ति एक अपराध है। लेकिन जो महिलाएं देह व्यापार करती हैं उनको दोषी कम और पीड़ित ज्यादा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर और आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए तथा उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी शादियाँ भी करवानी चाहिए जिससे बाल देह व्यापार में कमी हो सके।

2. उच्चतम न्यायालय ने **प0 न0 कृष्णलाल बनाम केरल राज्य** में कहा कि राज्य के पास यह शक्ति है कि वह कोई भी व्यापार या व्यवसाय जो गैर कानूनी, अनैतिक या समाज के लिए हानिकारक है उस पर रोक लगा सकती है।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in